

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 160/2024

दायर दिनांक: 10.12.2024

उनवान

रामचन्द्र पि. गंगाराम जाति दर्जी नि. कोलीखेडा तहसील सुनेल

- प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक : 13.01.2025

प्रार्थी रामचन्द्र पि. गंगाराम जाति दर्जी नि. कोलीखेडा तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, रामचन्द्र का आधारकार्ड (666094091445), परिवार राशनकार्ड (010537300828), जन आधार कार्ड (4765255131) तथा तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट 1940 दिनांक 20.11.2024 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोलीखेडा पटवार मण्डल सांगरिया तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे खाता संख्या 114 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम कोलीखेडा पटवार मण्डल सांगरिया तहसील सुनेल	114	चन्द्र पि. गंगाराम जाति दर्जी	रामचन्द्र उर्फ चन्द्र पि. गंगाराम जाति दर्जी

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, दिनांक: 13.01.2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/

प्रतिलिपी - तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

